आशा... आज वित्त मंत्री पेश करेंगे अंतरिम बजट, गुड़गांव का उद्योग जगत लगाए बैठा है आस

'बजट में आयकर सीमा बढ़ने की है उम्मीद'

■ प्रमुख संवाददाता, गुड़गांव

वित्त मंत्री पीयूष गोयल शुक्रवार को अंतरिम बजट पेश करेंगे। गुड़गांव के उद्योग जगत के लोग चाह रहे हैं कि सरकार इंडस्ट्री को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से बाहर रखे। इससे मकान या फिर अन्य प्रॉपर्टी बेचकर इंडस्ट्री लगाना आसान होगा। वहीं, रियल एस्टेट सेक्टर को उम्मीद है कि सरकार बजट में आयकर सीमा का दायरा बढ़ाकर नोटबंदी से मिले जख्मों पर मरहम लगाएगी। इसके साथ ही अफोर्डेबल हाउसिंग यूनिट्स पर लगने वाले टैक्स में कुछ राहत और रियल एस्टेट परियोजनाओं के लिए सिंगल विंडो क्लीयरेंस सिस्टम लाएगी।

इंडस्ट्री को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के दायरे से बाहर किया जाना चाहिए, ताकि नई इंडस्ट्री लगाने वाले लोगों को राहत मिल सके। – प्रवीण यादव, इंडस्ट्रियलिस्ट, उद्योग विहार

अगर कोई मकान या इंडस्ट्री बेचकर इंडस्ट्री लगाता है तो सरकार उससे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स वसूलती है। इसके खत्म किए जाने की उम्मीद है। – मनमोहन, मानेसर

इंडस्ट्री के लिए पूंजीगत लाभ बढ़ाने की उम्मीद है। सरकार को जीएसटी में और फेरबदल कर इंडस्ट्री को राहत देनी चाहिए। – सुमन चावला, इंडस्ट्रियलिस्ट मानेसर

आशा है कि अफोर्डेबल हाउसिंग यूनिट्स पर लगने वाले आयकर में थोड़ी छूट देकर सरकार रियल एस्टेट सेक्टर को राहत दे। – आशीष सरीन, निदेशक एवं सीईओ अल्फाकॉर्प

हमें केंद्र सरकार से रियल एस्टेट परियोजनाओं के लिए सिंगल विंडो क्लीयरेंस की मांग के स्वीकार होने की उम्मीद है। – पंकज बंसल, निदेशक, एमएम ग्रुप

यदि अतिरिक्त आयकर कटौती हुई तो अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट में अधिक से अधिक घर खरीदारों को प्रोत्साहन मिल सकेगा। – सुमित बेरी, प्रबंध निदेशक, बीडीआई ग्रुप

बजट में आयकर सीमा बढ़ने की है उम्मीद

आज वित्त मंत्री पेश करेंगे अंतरिम बजट, गुड़गांव के
उद्योग व रियल एस्टेट सेक्टर को है राहत की उम्मीद

प्रमुख संवाददाता, गुड़गांव

वित्त मंत्री पीयूष गोयल शुक्रवार को अंतरिम बजट पेश करेंगे। गुड़गांव के उद्योग जगत के लोग चाह रहे हैं कि सरकार इंडस्ट्री को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से बाहर रखे। इससे मकान या फिर अन्य प्रॉपर्टी बेचकर इंडस्ट्री लगाना आसान होगा। वहीं, रियल एस्टेट सेक्टर को उम्मीद है कि सरकार बजट में आयकर सीमा का दायरा बढ़ाकर नोटबंदी से मिले जख्मों पर मरहम लगाएगी। इसके साथ ही अफोर्डेबल हाउसिंग यूनिट्स पर लगने वाले टैक्स में कुछ राहत और रियल एस्टेट परियोजनाओं के लिए सिंगल विंडो क्लीयरेंस सिस्टम लाएगी।

इंडस्ट्री को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के दायरे से बाहर किया जाना चाहिए, ताकि नई इंडस्ट्री लगाने वाले लोगों को राहत मिल सके।

- प्रवीण यादव, इंडस्ट्रियलिस्ट, उद्योग विहार

अगर कोई मकान या इंडस्ट्री बेचकर इंडस्ट्री लगाता है तो सरकार उससे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स वसूलती है। बजट में इसके खत्म किए जाने की उम्मीद है।

- मनमोहन, इंडस्ट्रियलिस्ट मानेसर

इंडस्ट्री के लिए पूंजीगत लाभ बढ़ाने की उम्मीद है। सरकार को जीएसटी में और फेरबदल कर इंडस्ट्री को राहत देनी चाहिए।

- सुमन चावला, इंडस्ट्रियलिस्ट मानेसर

आशा है कि वर्तमान में अफोर्डेबल हाउसिंग यूनिट्स पर लगने वाले आयकर में थोड़ी छूट देकर सरकार रियल एस्टेट सेक्टर को राहत दे।

आशीष सरीन, निदेशक एवं सीईओ अल्फाकॉर्प

हमें केंद्र सरकार से रियल एस्टेट परियोजनाओं के लिए सिंगल विंडो क्लीयरेंस की मांग के स्वीकार होने की उम्मीद है।

पंकज बंसल, निदेशक, एम3एम ग्रुप

यदि अतिरिक्त आयकर कटौती हुई तो अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट में अधिक से अधिक घर खरीदारों को प्रोत्साहन मिल सकेगा।

सुमित बेरी, प्रबंध निदेशक, बीडीआई ग्रुप